प्रेस विज्ञप्ति
24.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय ने गंधमर्दन लोडिंग एजेंसी मामले में पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय ने 23.12.2025 को गंधमर्दन लोडिंग एजेंसी एंड ट्रांसपोर्टिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, केओंझर, ओड़िशा से संबंधित मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए)-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भुवनेश्वर, ओड़िशा के समक्ष, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है। यह अभियोजन शिकायत 11 अभियुक्तों के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त सौम्य शंकर चक्र @ राजा चक्र, उनके प्रमुख सहयोगी तथा उक्त सहकारी सोसाइटी के पदाधिकारी शामिल हैं।

ईडी ने भुवनेश्वर स्थित आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की। निर्धारित अपराध में क्षेत्रीय विकास, ग्राम व्यय, ईंधन शुल्क, ईपीएफ कटौती तथा अन्य मनगढ़ंत दावों के शीर्षों के अंतर्गत भ्रांतिपूर्ण खर्चों को प्रदर्शित कर सोसाइटी के कोष का बड़े पैमाने पर दुर्विनियोजन और विपथन शामिल है।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि यह सोसाइटी सौम्य शंकर चक्र @ राजा चक्र के प्रभावी नियंत्रण में थी, जिन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष मानस रंजन बारिक और सचिव उत्कल दास की मिलीभगत से सोसाइटी के कोष का धोखाधड़ीपूर्वक विपथन (डायवर्ट) किया। यह विपथन (डायवर्जन) स्वयं और धारक चेक, नकद निकासी, और स्तरित (लेयर) बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से किया गया।

अवैध रूप से विपथित (डायवर्ट) कोष का उपयोग सौम्य शंकर चक्र की व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाने और उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाले विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों के बकाया भुगतान के लिए किया गया। ईडी ने सोसाइटी की बही-खाता में दर्ज खर्चों की पुष्टि करने के लिए कोई वास्तविक कार्य आदेश, इन्वाइस या वास्तविक विकास गतिविधियों का प्रमाण नहीं पाया।

जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के अंतर्गत कई परिसरों में तलाशी अभियान संचालित की और रू. 22.26 करोड़ की आपराध की आय को अनंतिम रूप से कुर्क किया।

आगे की जांच जारी है।